

प्रेस नोट दिनांक- 16.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2026

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़

थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल फोन के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन मु0अ0सं0 264/2026 से संबंधित, चोरी की घटना में शामिल 02 अन्य अभियुक्तों के नाम भी प्रकाश में आए।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना अन्तू पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल फोन के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन के संबंध में थाना अन्तू पर पंजीकृत मु0अ0सं0 264/2026, धारा 303(2) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है।

घटना का विवरण- दिनांक 16.10.2026 को उ0नि0 राहुल मय हमराह हे0का0 इरफान अहमद, का0 हर्ष पाण्डेय एवं का0 धर्मेन्द्र कुमार सिंह के साथ क्षेत्र में देखभाल, मां चंडिका देवी धाम में ड्यूटी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी के मोबाइल फोन को बेचने के इरादे से दो व्यक्ति मां चंडिका देवी धाम मंदिर के पश्चिमी गेट के पास घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखकर दोनों व्यक्तियों ने भागने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने दौड़ाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया, जबकि दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गया।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण - पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम निरंजन वर्मा पुत्र रामकुमार वर्मा, निवासी ग्राम निमाना कोठा नेवढ़िया, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष बताया। जामा तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद मोबाइल फोन Infinix Note 12i बिना सिम कार्ड बरामद हुआ। बरामद मोबाइल फोन को प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर सील-सर्वमोहर किया गया तथा नियमानुसार गिरफ्तारी एवं बरामदगी की कार्यवाही की गई।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त निरंजन वर्मा ने बताया कि करीब 10 दिन पूर्व उसने अपने दो साथियों सचिन गौतम पुत्र सुखराम गौतम निवासी भाटन का पुरवा, शाहबरी, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ तथा रामजस वर्मा पुत्र श्रीराम वर्मा निवासी ग्राम निमाना कोठा नेवढ़िया, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ के साथ मिलकर नौनी मोड़ के पास साइकिल पर रखे बस्ते से मोबाइल फोन चोरी किया था। अभियुक्त के अनुसार, वे चोरी किए गए मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त पैसों से अपने नशे एवं अन्य शौक पूरे करते थे। घटना के दिन भी वह अपने साथी रामजस वर्मा के साथ मां चंडिका देवी धाम के आसपास पर्स एवं मोबाइल फोन चोरी करने तथा चोरी के मोबाइल फोन बेचने के इरादे से आया था। पुलिस को देखकर रामजस वर्मा मौके से फरार हो गया।

मोबाइल फोन की पहचान- बरामद मोबाइल फोन के IMEI नंबर का थाना स्तर पर उपलब्ध विवरण से मिलान करने पर मोबाइल फोन मु0अ0सं0 264/2026, धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित पाया गया। मुकदमे के वादी को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने बरामद मोबाइल फोन की पहचान अपने चोरी हुए Infinix Note 12i मोबाइल फोन के रूप में की। वादी के अनुसार, दिनांक 04.10.2026 को उनका मोबाइल फोन चोरी हुआ था। प्रकाश में आए अन्य अभियुक्त- गिरफ्तार अभियुक्त निरंजन वर्मा के पूछताछ में दिए गए बयान के आधार पर सचिन गौतम एवं रामजस वर्मा के नाम प्रकाश में आए हैं। दोनों की भूमिका के संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

वाहन के संबंध में विवरण- अभियुक्त के कब्जे से संबंधित अपाचे मोटरसाइकिल संख्या UP72CD5090 के संबंध में पूछताछ की गई। अभियुक्त ने मोटरसाइकिल अपने नाम होना बताया, लेकिन मौके पर वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। मोटरसाइकिल को थाना परिसर में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया।

मुकदमे का विवरण- मु0अ0सं0 264/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा प्रकरण में अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ पुलिस।धोखाधड़ी एवं कूटरचित दस्तावेजों से संबंधित अभियोग में प्रकाश में आए 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2026

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा मारपीट एवं जानलेवा हमले के मामले में 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा मारपीट एवं जानलेवा हमले के मामले में 01 अभियुक्ता सहित कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण- थाना आसपुर देवसरा पर मु0अ0सं0 274/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/117(2)/109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम लगातार प्रयासरत थी।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.10.2026 को उ0नि0 सचिन कुमार मय हमराह पुलिस बल एवं महिला आरक्षियों द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्ता वंदिता वर्मा उर्फ अंतिमा वर्मा को

ग्राम बाभनपुर से पट्टी जाने वाले मार्ग पर दमड़ी गांव के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त कहीं अन्यत्र जाने की फिराक में थी। महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से उसे नियमानुसार हिरासत में लिया गया।

इसी क्रम में उ0नि0 सचिन कुमार एवं उ0नि0 जावेद अहमद खान मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित दो अन्य अभियुक्तों बृजभान उर्फ चन्द्रभान उर्फ नन्हे एवं राजेश वर्मा उर्फ नन्हके को दिनांक 16.10.2026 को प्रातः करीब 04:17 बजे सदहा तिराहे से पट्टी की ओर लगभग 400 मीटर की दूरी पर गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्त प्रयागराज जाने के लिए बस पकड़ने की फिराक में थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. वंदिता वर्मा उर्फ अंतिमा वर्मा पुत्री राम आसरे वर्मा, निवासी ग्राम बाभनपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. बृजभान वर्मा उर्फ चन्द्रभान उर्फ नन्हे पुत्र रामआसरे उर्फ रामासरे, निवासी ग्राम बाभनपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 26 वर्ष।
3. राजेश वर्मा उर्फ नन्हके पुत्र राममूर्ति उर्फ राममूरत, निवासी ग्राम बाभनपुर, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 23 वर्ष।

मुकदमे का विवरण- मु0अ0सं0 274/2026, धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/352/351(3)/117(2)/109(1) बीएनएस, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़। प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है तथा गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़ पुलिस।

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2026

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा घनी आबादी में अवैध रूप से भंडारित लगभग 28.6 किलोग्राम पटाखे बरामद कर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। विभिन्न प्रकार के पटाखों सहित कुल 13 श्रेणियों की बरामदगी।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में आगामी दीपावली त्योहार के दृष्टिगत अवैध पटाखों के निर्माण, भंडारण एवं बिक्री पर रोक लगाने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा घनी आबादी में अवैध रूप से भंडारित पटाखों को बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.10.2026 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह पुलिस बल एवं म0उ0नि0 वन्दना वर्मा के साथ आगामी नवरात्रि एवं दीपावली त्योहार के दृष्टिगत शांति व्यवस्था, क्षेत्र में भ्रमण एवं अवैध

पटाखों की चेकिंग हेतु हीरागंज बाजार में मौजूद थे। इसी दौरान ग्राम माघी चैनगढ़ में लाइसेंस की जांच के क्रम में एक व्यक्ति मिला, जिसने अपना नाम मो० लक्की पुत्र मो० खलील अहमद, निवासी ग्राम माघी चैनगढ़, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष बताया। उसके पिता के नाम पटाखा निर्माण एवं भंडारण का लाइसेंस होना बताया गया। जांच के दौरान मुखबिर खास से सूचना मिली कि लाइसेंस में निर्धारित स्थान से अलग गांव स्थित मकान में पटाखों का भंडारण किया गया है, जिससे घनी आबादी में जनजीवन एवं संपत्ति को खतरा हो सकता है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण- मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम अभियुक्त मो० लक्की को साथ लेकर उसके गांव स्थित मकान पर पहुंची। मकान की तलाशी के दौरान बोरियों में विभिन्न प्रकार के पटाखे भंडारित पाए गए। मौके पर मौजूद अभियुक्त ने पटाखों को आगामी त्योहारों में बिक्री हेतु भंडारित करना बताया, लेकिन उक्त स्थान पर पटाखों के भंडारण से संबंधित वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए दिनांक 15.10.2026 को समय करीब 20:30 बजे गिरफ्तार किया गया।

बरामद पटाखों का विवरण-

- 40 पैकेट छोटी फुलझड़ी।
- 30 पैकेट छोटी चकरी।
- 03 पैकेट बड़ी चकरी।
- 07 पैकेट रॉकेट।
- 10 पैकेट छोटा अनारा।
- 04 पैकेट बड़ी फुलझड़ी।
- 05 पैकेट चुटपुटा।
- 01 डिब्बा सुपर बुलेट बम (08 पीस)।
- 65 पैकेट बड़ा मुर्गा छापा।
- 52 पैकेट बंदर छापा।
- 115 पैकेट छोटा मुर्गी छापा।
- 20 पैकेट थैली मिर्ची।
- 50 डिब्बे नागराज।

बरामद पटाखों का कुल वजन लगभग 28 किलोग्राम 600 ग्राम पाया गया।

निष्प्रयोजीकरण की कार्यवाही- बरामद पटाखों के घनी आबादी में भंडारण से जनजीवन एवं संपत्ति को संभावित खतरे के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों से वार्ता के उपरांत पुलिस टीम द्वारा पटाखों को पानी से भरे तालाब में डालकर नियमानुसार निष्प्रयोजित किया गया। जांच हेतु निष्क्रिय बारूद के कुछ अवशेष सुरक्षित रखे गए।

मुकदमे का विवरण- थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 267/2026, धारा 125 बीएनएस एवं धारा 5/9बी(1)(क) विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मो0 लक्की पुत्र मो0 खलील अहमद, निवासी ग्राम माधी चैनगढ़, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम-

उ0नि0 संतोष कुमार।

म0उ0नि0 वन्दना वर्मा।

का0 अजीत यादव।

का0 सुनील कुमार।

का0 प्रिन्स सेना।

थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़ पुलिस।

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2026

थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में 02 अभियुक्ता गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मारपीट कर जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद 02 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण- थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 168/2026, धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त प्रकरण में अभियुक्ताओं पर आपसी विवाद को लेकर एक राय होकर गांव के ही अभिषेक यादव पुत्र वीरेन्द्र कुमार यादव को लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप है। घायल अभिषेक यादव के सिर में गंभीर चोटें आई थीं तथा वह अस्पताल में भर्ती था।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 16.10.2026 को उ0नि0 मय हमराह पुलिस बल एवं म0आ0 शालिनी यादव व म0आ0 प्रतिभा प्रजापति द्वारा छितपालगढ़ चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे से संबंधित अभियुक्ताएं अपने घर पर मौजूद हैं तथा कहीं जाने की फिराक में हैं। सूचना पर पुलिस टीम ग्राम दारापुर नौवापुर पहुंची, जहां घर के सामने मौजूद दोनों महिलाओं ने पुलिस को देखकर अंदर भागने का प्रयास किया। महिला पुलिसकर्मियों द्वारा घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया। नाम-पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम निम्नवत बताया—

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-

1. कल्पना देवी पत्नी समर बहादुर यादव, निवासी ग्राम दारापुर नौवापुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 45 वर्ष।
2. संध्या यादव पुत्री समर बहादुर यादव, निवासी ग्राम दारापुर नौवापुर, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 21 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान अभियुक्ताओं ने बताया कि आपसी विवाद को लेकर उन्होंने एक राय होकर अभिषेक यादव को लाठी-डंडों से मारा-पीटा था, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई थीं। अभियुक्ताओं ने यह भी बताया कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए वे कहीं बाहर जाने की फिराक में थीं, तभी पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया।

मुकदमे में बढ़ोत्तरी- संकलित साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई है। अब प्रकरण की अग्रिम विवेचना धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अंतर्गत की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2026

थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा आपसी विवाद में शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मानिकपुर पुलिस एवं मिशन शक्ति टीम द्वारा आपसी विवाद में शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका के दृष्टिगत 01 अभियुक्त को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण-

आज दिनांक 16.10.2026 को उपनिरीक्षक रोहित यादव मय हमराह महिला कांस्टेबल ज्योति मौर्या एवं मिशन शक्ति टीम की महिला कांस्टेबल वंदना चौहान, महिला कांस्टेबल श्रुतिका सिंह तथा महिला पीआरडी हेमलता के क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बारहबीघा, रामपुर गढ़ौली में कुछ लोग आपस में वाद-विवाद कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां प्रथम पक्ष के हेमंत कुमार मौर्या पुत्र शंकर लाल मौर्या एवं द्वितीय पक्ष के विमल कुमार यादव पुत्र पुत्तिलाल यादव, निवासीगण ग्राम बारहबीघा, रामपुर गढ़ौली, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़ के मध्य प्रथम पक्ष द्वारा थाना मानिकपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 259/2026, धारा 76/75(2)/115(2) बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट से संबंधित प्रकरण को लेकर विवाद हो रहा था।

पुलिस टीम द्वारा दोनों पक्षों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रथम पक्ष मान गया, जबकि द्वितीय पक्ष का विमल कुमार यादव उत्तेजित होने लगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विमल कुमार यादव को दिनांक 16.10.2026 को धारा 170/126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विमल कुमार यादव पुत्र पुत्तीलाल यादव, उम्र करीब 24 वर्ष, निवासी ग्राम बारहबीघा, रामपुर गढ़ौली, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रोहित यादव, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

म0का0 ज्योति मौर्या, थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़।

म0का0 वंदना चौहान, मिशन शक्ति टीम।

म0का0 श्रुतिका सिंह, मिशन शक्ति टीम।

म0पीआरडी हेमलता, मिशन शक्ति टीम।

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2026

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू हत्याकांड का सफल अनावरण, पति की हत्या की साजिश में शामिल पत्नी सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

प्रेम प्रसंग के चलते पति की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित कुल 04 अभियुक्त गिरफ्तार। मृतक का मोबाइल फोन, आधार कार्ड एवं खून के छींटों वाले कपड़े बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के नेतृत्व/पर्यवेक्षण में थाना लालगंज पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू हत्याकांड का अनावरण करते हुए मृतक की पत्नी सहित कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.10.2026 को थाना लालगंज क्षेत्रांतर्गत शीतलमऊ नहर के पास काली माता मंदिर के निकट उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू, उम्र करीब 34 वर्ष, निवासी बाजार खास, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुँची तथा एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलित किए गए। शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा

गया। मृतक के भाई दीपू कौशल की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 395/2026, धारा 103(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 16.10.2026 को थाना लालगंज पुलिस एवं एसओजी टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर जगन्नाथपुर नहर पुलिया के पास घेराबंदी कर 03 अभियुक्तों (1) शहंशाह पुत्र मो0 बादशाह, निवासी ग्राम धारूपुर, थाना लालगंज, (2) विशाल शुक्ला उर्फ बिट्टू पुत्र अवधेश शुक्ला, निवासी ग्राम धारूपुर शुक्लान का पुरवा, थाना लालगंज एवं (3) अविनाश तिवारी उर्फ रजत तिवारी पुत्र आद्याप्रसाद तिवारी, निवासी ग्राम धारूपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया था। अभियुक्त विशाल शुक्ला के कब्जे से मृतक का रेडमी मोबाइल फोन तथा अभियुक्त अविनाश तिवारी के कब्जे से मृतक का आधार कार्ड बरामद हुआ था। अभियुक्तों की निशानदेही/बरामदगी के दौरान घटना के समय पहने गए तीन कपड़े भी बरामद हुए, जिन पर खून के छींटे पाए गए। अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमे में धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

मृतक की पत्नी की गिरफ्तारी का विवरण - दिनांक 16.10.2026 को प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार मय पुलिस टीम द्वारा संगम चौराहे पर संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हत्याकांड से संबंधित अभियुक्ता कालाकांकर रोड से राजेन्द्र नगर तिराहे की ओर नहर पटरी पर पैदल आ रही है और भागने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम कालाकांकर रोड से आगे वन विभाग के जंगल के पास नहर पटरी पर पहुँची, जहाँ मुखबिर के इशारे पर एक महिला को रोकने का प्रयास किया गया। महिला ने भागने का प्रयास किया, जिसे महिला पुलिसकर्मी की सहायता से पुलिस हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में महिला ने अपना नाम सुमन देवी पत्नी उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू, निवासी बाजार अंदर, लालगंज, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 36 वर्ष बताया। अभियुक्ता को मु0अ0सं0 395/2026, धारा 103(1) बीएनएस के संबंध में गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि मृतक की पत्नी सुमन देवी के कहने एवं उसकी योजना के अनुसार उन्होंने अपने साथी शहंशाह, बिट्टू एवं रजत तिवारी के साथ मिलकर उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू को शीतलमऊ नहर के पास शराब पिलाकर ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को घसीटकर कीचड़ में फेंक दिया था। शव को घसीटते समय मृतक का मोबाइल फोन एवं आधार कार्ड गिर गया था, जिन्हें अभियुक्तों ने अपने पास रख लिया था। अभियुक्तों ने बताया कि घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP72BY5367 (एचएफ डीलक्स) अविनाश तिवारी की है। घटना के बाद वे पुलिस से बचते हुए छिपकर रह रहे थे तथा भागने की फिराक में थे, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्ता सुमन देवी ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने प्रेमी शहंशाह तथा उसके साथी बिट्टू एवं रजत तिवारी के साथ मिलकर अपने पति उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू की ईंट-पत्थर से कुचलकर हत्या करवाई थी। घटना के बाद वह भी छिपकर भागने की फिराक में थी, तभी पुलिस टीम द्वारा उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त विशाल शुक्ला उर्फ बिट्टू एवं अविनाश तिवारी उर्फ रजत तिवारी को मुकदमे में शामिल करते हुए मु0अ0सं0 395/2026 में धारा 61(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

अभियुक्ता के कब्जे से बरामदगी- अभियुक्ता सुमन देवी की तलाशी महिला उपनिरीक्षक द्वारा नियमानुसार ली गई, जिसमें एक काले रंग का PHILIPS कीपैड मोबाइल फोन एवं ₹100 नकद बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. शहंशाह पुत्र मो० बादशाह, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी ग्राम धारूपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
2. विशाल शुक्ला उर्फ बिट्टू पुत्र अवधेश शुक्ला, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम धारूपुर शुक्लान का पुरवा, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
3. अविनाश तिवारी उर्फ रजत तिवारी पुत्र आद्याप्रसाद तिवारी, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम धारूपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।
4. सुमन देवी पत्नी उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू, उम्र करीब 36 वर्ष, निवासी बाजार अंदर, लालगंज, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी का विवरण-

मृतक उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू का मोबाइल फोन (रेडमी), विशाल शुक्ला उर्फ बिट्टू के कब्जे से।
मृतक का आधार कार्ड, अविनाश तिवारी उर्फ रजत तिवारी के कब्जे से।
घटना के समय पहने गए तीन कपड़े, जिन पर खून के छींटे पाए गए।
अभियुक्तों के कब्जे से उनके व्यक्तिगत मोबाइल फोन एवं शहंशाह के पास से ₹180 नकद भी बरामद हुए।
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP72BY5367, एचएफ डीलक्स।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना लालगंज पुलिस टीम

प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार मय हमराह उ०नि० अरुण सिंह ,उ०नि० रामनरेश, उ०नि० ज्ञानचन्द तिवारी, उ०नि० बनवारी लाल पाल, का० छोटक चौधरी, का० राहुल यादव, हे०का० सुभाष यादव, का० श्रवण कुमार, का० नीरज कुमार, का० आलोक यादव, का० विकास सिंह।

एसओजी टीम प्रभारी एसओजी श्री अमित कुमार मय हमराह हे०का० धनंजय राय, हे०का० मोहित यादव, हे०का० राजेन्द्र कुमार, का० आशुतोष पाण्डेय, का० अरविन्द दुबे, का० सलमान, हे०का० सनोज।

थाना लालगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की संयुक्त कार्यवाही में उमाशंकर कौशल उर्फ गुड्डू हत्याकांड का अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रेस नोट

साइबर क्राइम पुलिस थाना, जनपद - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश

दिनांक: 16 अक्टूबर 2026

प्रतापगढ़ साइबर क्राइम पुलिस की बड़ी सफलता: अंतरराष्ट्रीय/अंतरराज्यीय ऑनलाइन सट्टेबाजी और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 5 शांति अभियुक्त गिरफ्तार

भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, यूके (UK) के सिम कार्ड, फर्जी बैंक खाते और एटीएम कार्ड बरामद

मुख्य विवरण (Introduction) प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार के पर्यवेक्षण में साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रतापगढ़ को एक बड़ी अंतरराज्यीय कामयाबी हासिल हुई है। मुकदमा अपराध संख्या 307/2026 की विवेचना के दौरान, साइबर थाना के निरीक्षक/विवेचक दिवाकर सिंह यादव और उप-निरीक्षक मो० नदीम खाँ की टीम ने डिजिटल साक्ष्यों और लोकेशन के आधार पर लखनऊ के चिनहट इलाके (मल्हौर रेलवे स्टेशन रोड) में एक संदिग्ध ठिकाने पर दबिश देकर ऑनलाइन सट्टेबाजी (Online Gaming/Betting) और फर्जी खातों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले 05 शांति अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

यह गिरोह देश के विभिन्न राज्यों (मध्य प्रदेश, गुजरात आदि) से आकर लखनऊ में ठिकाना बनाकर अवैध ऑनलाइन गेमिंग और धोखाधड़ी का बड़ा नेटवर्क चला रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण (Details of Arrested Accused)

गिरफ्तार किए गए अभियुक्त शांति किस्म के साइबर फ्रॉड हैं, जो अलग-अलग राज्यों के रहने वाले हैं:

1. प्रीतम समतानी उर्फ हैरी (उम्र 23 वर्ष) पुत्र स्व० मुरलीधर समतानी – निवासी: माधवनगर, कटनी, जबलपुर, मध्य प्रदेश (हाल पता: रानीताल, जबलपुर, म०प्र०)।
2. चौधरी निशान्त हर्षद भाई उर्फ डैडी (उम्र 30 वर्ष) पुत्र स्व० हर्षद भाई – निवासी: प्रभुनगर सोसाइटी, बारडोली, सूरत, गुजरात।
3. संकेत सावलानी उर्फ सिनचैन (उम्र 20 वर्ष) पुत्र नारायणदास सावलानी – निवासी: सिंधी कालोनी, मैहर, जिला मैहर/सतना, मध्य प्रदेश।
4. शुभम वाधवानी उर्फ मुन्ना भैया (उम्र 19 वर्ष) पुत्र स्व० संतोष कुमार वाधवानी – निवासी: तरहटी, हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश (हाल पता: द्वारिका नगर, अमैया, रीवा, म०प्र०)।
5. अमरजीत साकेत उर्फ सलमान (उम्र 30 वर्ष) पुत्र राजकरन साकेत – निवासी: ग्राम व पो० बाँस, मनगवा, थाना गढ़, जिला रीवा, मध्य प्रदेश।

बरामदगी का विवरण (Details of Seized Items)

अभियुक्तों के कब्जे और घटना स्थल से भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस और सट्टेबाजी में प्रयुक्त सामग्री बरामद हुई है:

मोबाइल फोन: कुल 32 अदद स्मार्टफोन (जिसमें प्रीमियम फोन जैसे iPhone 17 Pro, iPhone 16, Motorola, Vivo, Realme, Samsung और Tecno शामिल हैं)।

सिम कार्ड: कुल 46 अदद एक्टिव भारतीय सिम कार्ड (Airtel, VI, Jio)।

अंतरराष्ट्रीय सिम: 02 अदद सिम कार्ड व 01 खाली रैपर Giffgaff (यूनाइटेड किंगडम - UK) देश का।

कंप्यूटर/लैपटॉप: 01 अदद DELL लैपटॉप (मय एडाप्टर) और 01 अदद ASUS ऑल-इन-वन डेस्कटॉप (मय कीबोर्ड, माउस व एडाप्टर)।

इंटरनेट संसाधन: 01 अदद Airtel Xstream Fiber Wifi रूटर।

वित्तीय दस्तावेज: 08 अदद फर्जी बैंक पासबुक (Omprakash Deora Co-operative Bank, UP Gramin Bank, Aryavart Bank, Airtel Payments Bank)।

डेबिट/ATM कार्ड: 07 अदद विभिन्न बैंकों के एटीएम कार्ड (जो यश राजा सिंह, अरविंद मोर्या, सावित्री बाई, रवेन्द्र कुमार, अन्नू कोल और प्रेम मुड्डी के नाम पर फर्जी तरीके से एक्टिव थे)।

नकद राशि: अभियुक्तों की जामा तलाशी से बरामद कुल ₹3,990/- नगद।

मोडस ऑपरेन्डी (Modus Operandi / अपराध का तरीका)

1. फर्जी खातों का संचालन: यह गिरोह भोले-भाले और गरीब के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके बैंक खाते और सिम कार्ड हासिल करता था।
2. ऑनलाइन सट्टेबाजी: यूके (UK) और भारतीय सिम कार्डों का उपयोग करके ये लोग अलग-अलग शिफ्टों में अवैध ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी (Online Betting) के ऐप्स व वेबसाइट्स का संचालन करते थे।
3. मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन): सट्टेबाजी से देश-विदेश से आने वाले अवैध पैसे को इन फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर (लेयरिंग) किया जाता था, ताकि मुख्य अपराधियों तक पुलिस न पहुँच सके। वे आम जनता के साथ ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी भी करते थे।

पंजीकृत अभियोग/धाराएं (Legal Action)

गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना कुण्डा/साइबर क्राइम थाना पर मु०अ०सं० 307/2026 के तहत देश के कड़े कानूनों के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है:

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 319(2) (फर्जी पहचान), 318(4) (धोखाधड़ी), 338, 336(3), 340(2), 112(2), 61(2) और 3(5) (साझा मंशा)।
2. आई०टी० एक्ट: धारा 66D (कंप्यूटर संसाधन के जरिए पहचान छुपाकर धोखाधड़ी)।
3. विशेष अधिनियम: धारा 9(1) व 9(2) प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025।

सभी अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा बरामद मोबाइलों और लैपटॉप का डेटा बैकअप (साक्ष्य संकलन हेतु) लेकर पेनड्राइव में सील कर दिया गया है ताकि कोर्ट में कड़ा साक्ष्य पेश किया जा सके।

पुलिस टीम

1. श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया (प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम पुलिस थाना, प्रतापगढ़)
2. श्री दिवाकर सिंह यादव (निरीक्षक/विवेचक, साइबर क्राइम पुलिस थाना, प्रतापगढ़)
3. मो० नदीम खाँ (उप-निरीक्षक, साइबर क्राइम पुलिस थाना)
4. उ०नि० अजहर खाँ
5. हे०का० पंकज कुमार
6. क०आ० अनिल कुमार
7. श्री अमित कुमार (मुख्य आरक्षी चालक)

8. आ० सत्येन्द्र यादव
 9. आ० प्रवीन कुमार सिंह
 10. आ० शिवम
- साइबर थाना टीम

प्रेस नोट दिनांक 16.10.2026

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत 01 अभियुक्ता सहित 03 एनबीडब्ल्यू वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण, वांछित अभियुक्तों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी तथा मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सुरक्षा एवं सम्मान के दृष्टिगत चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस उ०नि० अंकित सिंह, उ०नि० गंगाचरण प्रजापति मय हमराह का० अजीत कुमार यादव व महिला आरक्षी अनुराधा सिंह राठौर व महिला आरक्षी दिपांजली गुप्ता व महिला आरक्षी रश्मि सोनकर द्वारा माननीय न्यायालय स्पेशल कोर्ट (एससी/एसटी न्यायालय), जनपद प्रतापगढ़ से जारी गैर जमानती वारंट (NBW), सेशन केस संख्या 1249/2024, राज्य सरकार बनाम राममूरत पटेल, मु०अ०सं० 171/2024, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़ के अनुपालन में 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा 01 अभियुक्ता को महिला हेल्प डेस्क पर बैठाया गया।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का विवरण:

1. राममूरत पटेल पुत्र पयाग, उम्र करीब 70 वर्ष।
2. विजय कुमार पटेल पुत्र राममूरत पटेल, उम्र करीब 40 वर्ष।
3. मंजय पटेल पुत्र राममूरत पटेल, उम्र करीब 36 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम वजीरपुर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्ता का विवरण:

1. सिद्धान्ती पत्नी विजय कुमार पटेल, निवासी ग्राम वजीरपुर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:

उपनिरीक्षक अंकित सिंह
उपनिरीक्षक गंगाचरण प्रजापति
का० अजीत कुमार यादव
म०का० अनुराधा सिंह राठौर
म०का० दीपांजलि गुप्ता
म०का० रश्मि सोनकर थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

